फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री बंशी लाल गुर्जर निवासी 189, रामपुरिया कुंदवा, अम्बा खेड़ा, कुंदवा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 75/2023**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 18.12.2023 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से जरिये क्रमांक/आर.टी.आई/ अपील 75/2023/3097–99 दिनांक 18.12.2023 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01 की सूचना उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत कुंदवा एवं कुवास का गुडा तहसील देवगढ़ दिनांक 01.01.2014 से 05.09.2014 तक राशन गेहूं एवं करोसीन आवक–जावक रजिस्टर की प्रमाणित प्रति चाही गयी है इस क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बिन्दु संख्या (28) के क्रमांक एफ.17(45) खा. वि. / विधि/76 जयपुर 21 मई, 2001 के निर्देशानुसार उचित मूल्य दुकान का वितरण रिकॉर्ड दुकान पर रखे जाने के संबंध में वितरण समाप्ति के एक वर्ष तक ही अपने व्यापार परिसर में सुरक्षित रखे जाने के निर्देश प्राप्त है। उक्त दिशा निर्देशों की अनुपालना में उचित मूल्य दुकानदार द्वारा एक वर्ष तक ही रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते है। तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना उचित मूल्य की दुकान कुन्दवा, कुवास का गुडा तहसील देवगढ़ में वर्तमान राशन डीलर की सूची चाही गयी जो कार्यालय के पत्र क्रमांक 3095–98 दिनांक 18.12.2023 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी है। एवं बिन्दु संख्या 03 की सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक 3095–98 दिनांक 18.12. 2023 से अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी है। अतः अपीलार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 01 से 03 तक की चाही गयी सूचना जरिये रजिस्टर्ड भिजवा दी गयी है। लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी	

न्यायालय जिला कलक्टर

जिला रसद अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना अपीलार्थी को जरिये पत्र क्रमाकः रसद/सू0का0अधि0/सूचना/2023–24/3095 – 98 दिनांक 18.12.2023 से प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)